फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती सरोज **विपक्षी : श्री हेमराज**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 53/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 06.08.2024	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। विपक्षी सं. 5, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 322 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 312 के उत्तरी एवं पूर्वी दिशा में से 20 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 312 में से 0.0928 हेक्टेयर 232 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, जिसकी डीएलसी दर 2,89,636/– प्रति बीघा के हिसाब से रास्ते की राशि 1,66,017/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, वह वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 2 के नाम पर दर्ज हैं। इस प्रकार नियमानुसार डी. एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : <u>आदेश</u> : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गाडवा पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 322 में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 से 2 की आ.न. 312 मे से 0.0928 हेक्टेयर 232 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शायी गई भूमि को प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक रास्ते के रूप में कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 2,89,636/– अक्षरे दौ लाख उन्नबे हजार छः सौ छत्तीस रूपयें प्रति बीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0928 हेक्टेयर की कुल कीमत 1,66,017/– रूपये बनती है, जिसका दुगुना 3,32,034/– रूपयें तीन लाख बत्तीस हजार चौतीस रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी सं. 1 से 2 को उनके हिस्से अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई जावें। विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीया का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.23 11:37:51 IST
Reason: SelfAttested